अनुबंध

चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना - निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)

सारणी की विषय-वस्तु		
अनुच्छेद सं.	**विषय**	**पृष्ठ सं.**
	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)	
1	परिचय	**3**
2	उद्देश्य	**4**
3	व्याप्ति	**4**
4	एनएसएफ़आर की परिभाषा	**4**
5	न्यूनतम आवश्यकता और कार्यान्वयन की तारीख	**4**
6	एएसएफ़ और आरएसएफ़ का अंशांकन - मानदंड एवं धारणाएं	**5**
7	एएसएफ़ की परिभाषा और परिकलन	**6**
8	एएसएफ़ - अन्य आवश्यकताएं	**10**
9	आरएसएफ़ की परिभाषा और परिकलन	**11**
10	आरएसएफ़ - अन्य आवश्यकताएं	**18**
11	गणना एवं रिपोर्टिंग का अंतराल	**22**
12	एनएसएफ़आर प्रकटीकरण मानक	**22**
परिशिष्ट 1	बीएलआर - 7 एनएसएफ़आर विवरणी	
परिशिष्ट 2	एनएसएफ़आर प्रकटीकरण टेम्पलेट	

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)

1. प्रस्तावना/ परिचय

1.1 वर्ष 2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) ने अधिक लचीले बैंकिंग क्षेत्र को उभारने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमों में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में चलनिधि पर बासल III नियम पाठ - *"बासल III : चलनिधि जोखिम मापन, मानक और निगरानी पर अंतर्राष्ट्रीय संरचना"* दिसंबर 2010 में जारी किया गया, जिसमें चलनिधि पर वैश्विक विनियामक मानकों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया था। बासल समिति द्वारा दो अलग-अलग किंतु पूरक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दो न्यूनतम मानकों, अर्थात् चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) का निर्धारण किया गया।

1.2 एलसीआर मानक संभावित चलनिधि विघटन के परिदृश्य में बैंकों का अल्पावधि में आघात सहन की क्षमता को बढ़ावा देता है, 30 दिनों तक के दबाव की स्थिति बचे रहने के लिए अपने पास पर्याप्त एचक्यूएलए का स्तर बनाए रखते हुए इसे सुनिश्चित किया जाता है। एनएसएफ़आर दिशानिर्देश लंबी समयावधि के परिप्रेक्ष्य में बैंकों द्वारा अपनी गतिविधियों हेतु वित्त पोषण के लिए लगातार पर्याप्त स्थिर स्रोतों से सहारा लेते हुए आघात सहन को बढ़ावा देता है।

1.3 दिसंबर 2010 में दस्तावेज़ जारी करते समय बासल समिति ने इस मानक और वित्तीय बाजारों, ऋण विस्तार तथा आर्थिक विकास पर उसके प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक सख्त प्रक्रिया बनाई थी और एक अवलोकन अवधि में एनएसएफ़आर के विकास की समीक्षा करने पर सहमत हुए थे। इस समीक्षा का उद्देश्य वित्तीय बाजार की कार्यपद्धति और अर्थव्यवस्था के लिए किसी भी अवांछित परिणामों का पता लगाना और i) खुदरा व्यापार गतिविधों पर प्रभाव ii) आस्तियों और देनदारियों के अल्पकालीन निधि मिलान कार्य और (iii) आस्तियों और देनदारियों के लिए उप-एक वर्ष की बकेट का विश्लेषण जैसे प्रमुख मुद्दों के डिज़ाइन में आवश्यक सुधार लाना था।

1.4 ये दिशानिर्देश अक्तूबर 2014 में बीसीबीएस द्वारा एनएसएफ़आर पर प्रकाशित अंतिम नियम पाठ पर आधारित है और इसे भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

2. उद्देश्य

एनएसएफ़आर का उद्देश्य बैंकों द्वारा अपनी आस्ति और तुलनपत्रेतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर निधि प्रोफ़ाइल बनाए रखना सुनिश्चित करना है। बैंक के निधीयन के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक के चलनिधि स्थिति में ह्रास की संभावना होती है जिससे बैंक की असफलता का खतरा बढ़ जाएगा और संभवतः व्यापक प्रणालीगत तनाव को बढ़ावा मिलता है जिसे कम करना एक स्थाई निधि संरचना का उद्देश्य है। एनएसएफ़आर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर निर्भरता को सीमित करती है और सभी तुलनपत्र एवं तुलनपत्रेतर मदों पर निधीयन जोखिम के बेहतर आकलन को प्रोत्साहित करती है और धन स्थिरता को बढ़ावा देता है ।

3. व्याप्ति (Scope)

एनएसएफ़आर भारतीय बैंकों पर एकल और समेकित स्तर पर लागू होगा। भारत में शाखाओं के रूप में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों के लिए ढांचा एकल (स्टैंड-अलोन) आधार पर लागू होगा (यानी, केवल भारतीय परिचालनों के लिए)।

4. एनएसएफ़आर की परिभाषा

एनएसएफ़आर को आवश्यक स्थिर निधि की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधि की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। पूंजी और देयताओं के एक भाग जो एनएसएफ़आर द्वारा उचित प्रतीत समय सीमा, जो एक वर्ष तक की हो सकती है जिसमें विश्वसनीय होने की अपेक्षा है उन्हें "उपलब्ध स्थिर निधि" (एएसएफ़) के रूप में परिभाषित किया है। एक विशिष्ट संस्था का स्थिर निधि के अंतर्गत राशि की आवश्यकता ("आवश्यक स्थिर निधि") (आरएसएफ़) संस्थान के चलनिधि विशेषताओं और विभिंन आस्तियों के अवशिष्ट परिपक्वताओं और तुलनपत्रेतर इक्स्पोज़र से संबंधित कार्य है।

5. न्यूनतम आवश्यकता और कार्यान्वयन दिनांक

$$NSFR = \frac{\left(Available\ Stable\ Funding\ (ASF)\right)}{Required\ Stable\ Funding (RSF)} \geq 100\%$$

उक्त अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। तथापि, एनएसएफ़आर स्थिर वित्त पोषण के पर्यवेक्षी आकलन और एक बैंक के चलनिधि जोखिम प्रोफ़ाइल द्वारा पूरक होगा। इस तरह के आकलन के आधार पर, रिज़र्व बैंक का बैंकों से यह अपेक्षा होती है कि प्रत्येक बैंक अपनी निधीयन जोखिम प्रोफ़ाइल के लिए अधिक कड़े मानक और इसके अनुपालन के लिए सुदृढ़ सिद्धांत अपनाए (बैंकों

द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर 7 नवंबर 2012 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.56/21.04.98/2012-13 के माध्यम से जारी). एनएसएफ़आर जिस तिथि से बैंकों पर बाध्यकारी होगा उसकी सूचना यथासमय दिया जाएगा।

6. एएसएफ और आरएसएफ का अंशांकन- मानदंड और अवधारणाएं

एएसएफ और आरएसएफ देयताओं और आस्तियों (तुलनपत्रेतर आस्तियों सहित) के लिए उपलब्ध और अपेक्षित निधि राशि को दर्शाता है। देयताओं की स्थिरता और आस्तियों की तरलता की अनुमानित डिग्री को दर्शाने के लिए बीसीएसबीएस मानकों में निर्दिष्ट एएसएफ और आरएसएफ की राशियों का अंशांकन किया गया है।

6.1 अंशांकन देयताओं की स्थिरता को दो आयामों में दर्शाता है:

क) निधीयन अवधि- सामान्य रूप से एनएसएफआर का अंशांकन इसप्रकार किया जाता है कि दीर्घावधि देयाताएं अल्पावधि देयताओं की तुलना में अधिक स्थिर मानी जाती हैं।
ख) निधीयन का प्रकार और प्रतिपक्षकार - एनएसएफआर का अंशांकन इस अनुमान के अंतर्गत किया जाता है कि रीटेल ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई अल्पावधि जमाराशियां (एक वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाली) और छोटे व्यावसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई निधियां अन्य प्रतिपक्षकारों से प्राप्त समान परिपक्वता के थोक वित्त पोषण की तुलना में अधिक स्थिर होती हैं।

6.2 विभिन्न आस्तियों के लिए अपेक्षित स्थिर निधीयन की उचित राशियों का निर्धारण करने में, इन मानदंडों के बीच संभावित ट्रेड ऑफ़ को पहचानते हुए, निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है:

क) आघात सहय ऋण निर्माण - इस प्रकार की मध्यस्थता की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए एनएसएफआर वास्तविक अर्थव्यवस्था को उधार देने के कुछ अनुपात के लिए स्थिर निधीयन की अपेक्षा रखता है।
ख) बैंक व्यवहार - एनएसएफआर का अंशांकन इस परिकल्पना के अंतर्गत किया गया है कि बैंक-ग्राहक संबंधों को संरक्षित रखने के लिए परिपक्व होने वाले ऋणों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को पुनर्निधारित करना चाहेंगे।
ग) आस्ति अवधि - एनएसएफआर यह परिकल्पना करता है कि कुछ लघु अवधि आस्तियों (एक वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाली) को स्थिर निधीयन का छोटा अनुपात अपेक्षित

होता है क्योंकि उन आस्तियों के कुछ अनुपात को पुनर्निर्धारित करने के बजाय परिपक्व करने में बैंक सक्षम होगा।

घ) आस्ति गुणवत्तता और चलनिधि मूल्य - एनएसएफआर यह परिकल्पना करता है कि भार रहित, उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियों, जिनका प्रतिभूतिकरण या व्यापार किया जा सकता है, और इस प्रकार अतिरिक्त निधीयन को सुरक्षित रखने के लिए संपार्श्विक के रूप में तत्काल उपयोग किया जा सकता है अथवा बाज़ार में बेचा जा सकता है, को स्थिर निधीयन से पूर्णतः वित्तपोषण करने की आवश्यकता नहीं है।

6.3 ओबीएस प्रतिबद्धताओं और आकस्मिक निधीयन दायित्वों से उत्पन्न संभावित तरलता के कम से कम एक छोटे हिस्से का समर्थन करने के लिए भी अतिरिक्त स्थिर निधि स्रोत आवश्यक हैं।

6.4 एनएसएफआर के विभिन्न घटकों पर इन दिशानिर्देशों में दी गई व्याख्या जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाए एलसीआर पर जारी परिपत्र में उल्लिखित ही हैं। एनएसएफआर में एलसीआर परिभाषाओं के सभी संदर्भ 9 जून 2014 के परिपत्र के अनुसार जारी एलसीआर मानक में परिभाषाओं को संदर्भित करते हैं और 31 मार्च 2015, 23 मार्च 2016 और 2 अगस्त 2017 के परिपत्र के अनुसार संशोधित होते हैं;

7. उपलब्ध स्थिर निधीयन की परिभाषा और गणना

7.1 एएसएफ की राशि की गणना, किसी संस्था के निधीयन स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर की जाती है, जिसमें इसकी देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता और अपने निधीयन को वापस लेने के लिए विभिन्न प्रकार के निधीयन प्रदाताओं के रुझान में अंतर शामिल है। एएसएफ राशि की गणना, पहले संस्था की पूंजी और देयताओं के वहन मूल्य को नीचे दी गई पांच श्रेणियों में से किसी एक के साथ समनुदेशित करके की गई है। इसके बाद प्रत्येक श्रेणी से समनुदेशित राशि को एएसएफ फैक्टर से गुणा किया जाता है, और कुल एएसएफ भारित राशि का योग है। वहन मूल्य देयता या इक्विटी लिखत के लिए किसी विनियामक कटौती, फिल्टर या अन्य समायोजन करने से पहले रिकार्ड की गई राशि को दर्शाता है।

तालिका 1		
क्र.	**एएसएफ श्रेणी के घटक (देयता श्रेणी)**	**संबंधित एएसएफ घटक**
(i)	• कुल विनियामक पूंजी (एक वर्ष से कम समय की अवशिष्ट परिपक्वता वाले टिअर 2 लिखतों को छोड़कर)। • एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता वाले अन्य पूंजी लिखत। • एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता वाली अन्य देयताएं।	100%
(ii)	• रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमा और सावधि जमा।	95%
(iii)	• रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले कम स्थिर गैर-परिपक्व जमा और सावधि जमा।	90%
(iv)	• गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता से निधीयन। • परिचालनात्मक जमा। • राष्ट्रिक, पीएसई, और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता से निधीयन • छह महीने और एक वर्ष के बीच की अवशिष्ट परिपक्वता से अन्य निधीयन को उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किया गया है, जिसमें केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए निधीयन भी शामिल है	50%

(v)	• निश्चित परिपक्वता रहित देयताओं सहित, उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई देयताएं और इक्विटी (अल्पसंख्यक हितों और अस्थगित कर देयताओं के लिए एक विशिष्ट ट्रीटमेंट के साथ) • यदि एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियों से अधिक है तो एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियों का नेट • वित्तीय लिखतों, विदेशी मुद्राओं और वस्तुओं की खरीद से होने वाले "व्यापार तिथि" देय	0%

7.2 **100 % एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताएं और पूंजि**

100 **%** एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताएं और पूंजी लिखतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क)पूंजी कटौती को लागू करने से पूर्व विनियामक पूंजी की कुल राशि, जैसा कि बेसल III पूंजी पर 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 4.2 में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक वर्ष से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाले टिअर 2 लिखत के अनुपात शामिल नहीं है;

ख)(क) में शामिल नहीं किए गए किसी भी पूंजी लिखत की कुल राशि जिसकी एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता हो, किंतु ऐसे किसी भी लिखत को छोड़कर जिसका स्पष्ट या अंतःस्थापित विकल्प हो कि यदि प्रयोग किया जाता है तो अपेक्षित परिपक्वता को एक वर्ष से कम कर देगा ; और

ग) एक वर्ष अथवा उससे अधिक प्रभावी[1] अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित ऋणों और देयताओं की कुल राशि (मीयादी जमाओं सहिंत[2])। एक वर्ष की समयावधि से पहले देय किंतु एक वर्ष से अधिक अंतिम परिपक्वता वाली देयताओं से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह 100% एएसएफ फैक्टर के योग्य नहीं हैं।

7.3 **95 % एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताएं**

95% एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताओं में "स्थिर" (जैसा कि एलसीआर पर दिनांक 9 जून 2014 के परिपत्र में बीएलआर-1 की 'व्याख्या नोट' में परिभाषित किया गया है) गैर

[1] प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता प्राप्त करने के लिए बैंकों को "क्रय विकल्प", अंतःस्थापित अथवा स्पष्ट, के कारण होने वाले पूर्व आहरण को ध्यान में रखना चाहिए

[2] टीडी जिनका पूर्व आहरण पर्याप्त दंड के बिना नहीं किया जा सकता है

परिपक्वता (मांग) जमाएं और/अथवा रीटेल और छोटे व्यासाय ग्राहकों द्वारा दी गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमाराशियां शामिल हैं।

7.4 **90 % एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताएं**

90% एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताओं में "कम स्थिर"(जैसा कि एलसीआर पर दिनांक 9 जून 2014 के परिपत्र में बीएलआर-1 की 'व्याख्या नोट' में परिभाषित किया गया है) गैर परिपक्वता (मांग) जमाएं और/अथवा रिटेल और छोटे व्यासाय ग्राहकों द्वारा दी गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमाराशियां शामिल हैं, जैसा कि एलसीआर पर दिनांक 9 जून 2014 के परिपत्र में बीएलआर-1 की 'व्याख्या नोट' में परिभाषित किया गया है और दिनांक 31 मार्च 2015 के परिपत्र द्वारा संशोधित किया गया है।

7.5 **50 % एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताएं**

50 % एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

क) गैर वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई निधियां (प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित) जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम है;
ख) परिचालनात्मक जमाएं (जैसा कि एलसीआर पर दिनांक 9 जून 2014 के परिपत्र में बीएलआर-1 की 'व्याख्या नोट' में परिभाषित किया गया है और दिनांक 31 मार्च 2015 के परिपत्र द्वारा संशोधित किया गया है)
ग) राष्ट्रिक ,सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं (पीएसई), और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंक (नाबार्ड,एनएचबी और सिडबी) से एक वर्ष से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाले निधीयन; और
घ) छह महीने और एक वर्ष के बीच की अवशिष्ट परिपक्वता वाले अन्य निधीयन जिन्हें उपर्युक्त श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है (प्रतिभूति सहित और प्रतिभूति रहित) जिसमें केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए निधीयन भी शामिल हैं

7.6 **0 % एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताएं**

0 % एएसएफ फैक्टर प्राप्त होने वाली देयताओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

क) भारतीय रिज़र्व बैंक और/अथवा अन्य केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों से छः महीने से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाले अन्य निधीयन सहित, उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई देयताएं और इक्विटी श्रेणियां

ख) उन्य देयताएं जिनकी निश्चित परिपक्वता नहीं है। इस श्रेणी में खरीद से अधिक बिक्री (शोर्ट पोजिशन) और खुली परिपक्वता स्थितियां शामिल हो सकती हैं। निश्चित परिपक्वता रहित देयताओं के लिए निम्नलिखित दो अपवादों की पहचान की जा सकती है:

• पहला, आस्थगित कर देयताएं, जिनको निकटतम संभाव्य तिथि के अनुसार माना जाएगा, जिस तिथि को ऐसी देयताओं की वसूली की जा सकती है; और

•दूसरा, अल्पमत हित (अर्थात् गैर-नियंत्रक हित) जिसे लिखत की अवधि के अनुसार माना जाएगा, सामान्यतः निरंतरता में।

इन देयताओं को बाद में, प्रभावी परिपक्वता एक वर्ष या उससे अधिक होगी तो 100 % एएसएफ फैक्टर अथवा यदि प्रभावी परिपक्वता छः महीने से एक वर्ष तक की होगी तो 50% समनुदेशित किया जाएगा;

ग) यदि एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियों से अधिक है, एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं, जैसा कि नीचे दिए गए पैराग्राफ 8.1 के अनुसार गणना की गई है, एनएसएफआर डेररिवेटिव आस्तियों का नेट, जैसा कि नीचे दिए गए पैराग्राफ 10.12 के अनुसार गणना की गई है; और

घ) वित्तीय लिखतों, विदेशी मुद्राओं और वस्तुओं की खरीद से उप्तन्न होने वाले "व्यापार तिथि" देय जिनका (i) निपटान, संबंधित विनिमय या लेनदेन के प्रकार के लिए सामान्य मानक निपटान चक्र या अवधि के भीतर होने की प्रत्याशा है या (ii) निपटान असफल रहा है लेकिन अभी भी निपटान होने की प्रत्याशा है।

8. एएसएफ - अन्य अपेक्षाएं

8.1 डेरिवेटिव देयता राशियों की गणना

डेरिवेटिव देयताओं की गणना पहले डैरिवेटिव संविदाओं (बाज़ार भाव पर दर्शाकर प्राप्त) के प्रतिस्थापन लागत के आधार पर की जाती है जहां संविदा का मूल्य ऋणात्मक होता है। यदि डेरिवेटिव एक्सपोज़र योग्य द्विपक्षीय नेटिंग संविदा से रक्षित हैं, जैसा कि बासल III पूंजी विनियमों[3] पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 20 (भाग ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है, तो संविदा से रक्षित डेरिवेटिव एक्सपोज़र के सेट की प्रतिस्थापन लागत निवल प्रतिस्थापन लागत होगी। एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताओं की गणना में, डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में, विभेद मार्जिन के रूप में रखे गए संपार्शिक आस्ति प्रकार से प्रभावित हुए बिना, ऋणात्मक प्रतिस्थापन लागत राशि से घटाई जाएगी।

[3] वर्तमान में, मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 5.15.3.9 में उल्लिखित शर्तों के अधीन, बैंकों द्वारा केवल योग्य केंद्रीय प्रतिपक्षकार (क्यूसीसीपी) को एक्सपोज़र के संबंध में ही संगत हैं। ओटीसी डैरिवेटिव के संबंध में,बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – कांउंटरपार्टी ऋण एक्सपोजरों की द्विपक्षीय नेटिंग पर दिनांक 1 अक्तूबर 2010 का परिपत्र देखें। जैसा कि उसमें उल्लिखित किया गया है, डेरिवेटिव संविदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले बाज़ार दर पर अंकित (एमटीएम)मूल्यों को द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी गई है।

8.2 इक्विटी अथवा देयता लिखत की परिपक्वता निर्धारित करते समय, यह परिकल्पना की जाती है कि निवेशक निकटतम संभाव्य तिथि को क्रय विकल्प का प्रयोग करेंगे। बैंक के विवेक पर प्रयोग किए जाने वाले विकल्प से निधीयन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, ऐसे प्रतिष्ठा संबंधी कारकों को ध्यान में रखेंगे जो उस विकल्प का प्रयोग करने की बैंक की क्षमता को सीमित कर सकती हैं। विशेष रूप से, जहां बाज़ार यह परिकल्पना करता है कि कतिपय देयताओं को उनकी वैध अंतिम परिपक्वता दिनांक से पूर्व भुनाया जाना है, बैंक एनएसएफआर के प्रयोजन से इस प्रकार की गतिविधि की परिकल्पना करेंगे और इन देयताओं को तदनुरूपी एएसएफ श्रेणी में शामिल करेंगे। दीर्घावधि देयताओं के संबंध में, नकदी प्रवाह का वह हिस्सा जो छः महीने और एक वर्ष की समय अवधि को अथवा उसके भीतर आता है, को क्रमशः छः महीने अथवा उससे अधिक या एक वर्ष और अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता युक्त के रूप में माना जाएगा।

9. अपेक्षित स्थिर निधीयन की परिभाषा और गणना (आरएसएफ)

9.1 आपेक्षित स्थिर निधीयन की मात्रा को संस्था की संपत्तियों और तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र की तरलता जोखिम प्रोफ़ाइल की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है। अपेक्षित स्थिर निधीयन की मात्रा की गणना पहले संस्था की आस्तियों की मूल कीमत[4] को निम्नलिखित तालिका 2 में सूचीबद्ध की गई श्रेणियों के साथ समनुदेशित करके की जाती है। जब तक एनएसएफआर में अन्यथा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है, तब तक मानक आस्तियों को उनकी संविदात्मक अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार परिपक्वता बकेट के साथ विनिधानित किया जाना चाहिए। हालांकि, इसमें अंतःस्थापित विकल्पिक स्थिति, जैसे कि क्रय-विक्रय विकल्प, को ध्यान में रखना चाहिए, जो वास्तविक परिपक्वता तिथि को प्रभावित कर सकता है जैसाकि अनुच्छेद 8.2 और 10.2 में व्यक्त किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के साथ समनुदेशित राशि को तत्पश्चात उसके संबंधित अपेक्षित स्थिर निधीयन फैक्टर से गुणा किया जाता है, और कुल आरएसएफ, तुलनपत्रेतर गतिविधि (या संभावित तरलता एक्सपोज़र) की राशि के साथ जोड़ा गया भारित राशि का योग है जो इसके संबंधित आरएसएफ कारक (तालिका 3) से गुणा किया जाता है। इसमें दी गई व्याख्या जब तक अन्यथा निर्धिष्ट[5] नहीं किया जाए मौजूदा एलसीआर दिशानिर्देशों में उल्लिखित ही हैं

[4] आस्ति के वास्तविक मूल्य की रिकार्डिंग सामान्यतः उसके लेखांकन मूल्य का पालन कर किया जाना चाहिए अर्थात् बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण के पैराग्राफ 52 और बासल III लीवरेज अनुपात ढांचा और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के पैराग्राफ 12 के अनुसार विशिष्ट प्रावधानों का नेट.

[5] एनएसएफआर की गणना के प्रयोजन से, एचक्यूएलए की परिभाषा में, एलसीआर परिचालनगत अपेक्षाओं और स्तर 2 और स्तर 2बी की आस्तियों पर उन सभी एलसीआर उच्चतम सीमाओं, जिनके कारण एलसीआर की गणना के लिए पात्र एचक्यूएलए के रूप में उनके शामिल किए जाने की क्षमता सीमित होती है, को ध्यान में नरखते हुए, सभी एचक्यूएलए शामिल हैं। एचक्यूएलए और परिचालनगत अपेक्षाएं दिनांक 31 मार्च 2015 परिपत्र के साथ सपठित, दिनांक 9 जून 2014 के परिपत्र में परिभाषित हैं ।

तालिका 2		
क्र.	**आरएसएफ श्रेणी के घटक**	**संबंधित आरएसएफ घटक**
(i)	• सिक्के और बैंक नोट • अतिरिक्त सीआर सहित आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) •भारतीय रिज़र्व बैंक पर छः महीने से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाले सभी दावे • वित्तीय लिखतों, विदेशी मुद्राओं और पण्य वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न "व्यापार तिथि" प्राप्तियां	0%
(ii)	• सिक्के, बैंक नोट और सीआरआर को छोडकर भार रहित स्तर 1 यांआस्ति • भार रहित एसएलआर प्रतिभूतियां	5%
(iii)	• वित्तीय संस्थाओं को छः महीने से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाले भार रहित ऋण , जहां ऋण स्तर यों के द्वारा प्रतिभूति की आस्ति 1 के एलसीआर परिपत्र में 2014 जून 9 हैं जैसा कि दिनांकयुक्त न किया गया परिभाषित किया गया है और समय समय पर अद्यत था और जहां बैंक प्राप्त संपार्श्विक को ऋण की समयावधि के लिए पुनः दृष्टिबंधक[6] करने लिए स्वतंत्र हैं।	10%
(iv)	• वित्तीय संस्थाओं को दिए गए छः महीनों से कम की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले सभी मानक भार रहित ऋण, जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं। • भार रहित स्तर 2ए आस्तियां	15%
(v)	• भार रहित स्तर 2बी आस्तियां • छः महीने और उससे अधित तथा एक वर्ष से कम अवधि के लिए भार युक्त एचक्यूएलए • 'वित्तीय संस्थानों और केंद्रीय बैंकों को छः महीनों से एक वर्ष के बीच की अवशिष्ट परिपक्वता वाले 'मानक' ऋण • अन्य वित्तीय संस्थानों में परिचालनगत प्रयोजनों के लिए धारित जमाराशियां • उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई एक वर्ष से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाली अन्य सभी आस्तियां , जिसमें गैर वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों को दिए गए मानक ऋण , रिटेल और छोटे व्यवसाय	50%

[6] दिनांक 5 फरवरी 2015 के परिपत्र एफएमआरडीःडीआईबारडीः .5/14.03.002/2014-15 के अनुसार वर्तमान में जी सेक के लिए ही भारत में पुनः दृष्टिबंधक की अनुमति दी गई है

	ग्राहकों को दिए गए मानक ऋण और राष्ट्रिक तथा सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण शामिल हैं	
(vi)	• एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवशिष्ट परिपक्वता वाले और मानकीकृत पद्धति[7] के अंतर्गत अनुमत न्यूनतम जोखिम भार वाले भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक • उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए, वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण को छोडकर, एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवशिष्ट परिपक्वता और मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत 35% से कम अथवा समतुल्य जोखिम भार वाले अन्य भाररहित 'मानक' ऋण	65%
(vii)	• डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में लगाई गई नकदी, प्रतिभूतियां अथवा अन्य आस्तियां और सीसीपी की चूक निधि में सम्मिलित करने के लिए दी गई आस्तियां • वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण को छोडकर अन्य भार रहित अर्जक ऋण जिसका जोखिम भार मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से अधिक है और एक वर्ष से अधिक अवशिष्ट परिपक्वताओं वाले हैं • भाररहित प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक वर्ष अथवा उससे अधिक शेष परिवक्वता वाले उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियांसांविधिक / ती हचलनिधि अनुपात के रूप में पात्र नहीं होैं और एक्सचेंज पर व्यापार की जाने वाली इक्विटी • स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं	85%
(viii)	• एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए भारयुक्त सभी आस्तियां • यदि एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताओं से अधिक है तो एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताओं की निवल एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां • डेरिवेटिव देयताओं का 5% जैसा कि पैरा के अनुसार गणना की 8.1 गई हो • गैर निष्पादित ऋण, वित्तीय संस्थाओं को दिए गए एक वर्ष और उससे अधिक अवशिष्ट परिपक्वता वाले ऋण, एक्सचेंज पर व्यापार नही की जाने वाली इक्विटी, स्थिर आस्तियां, विनियामक पूंजी से घटाए गए मद, प्रतिधारित ब्याज, बीमा आस्तियां, अनुषंगी हित और चूक की गई प्रतिभूतियां सहित उपर्युक्त वर्गों में शामिल नहीं	100%

[7]एनएसएफआर के प्रयोजन से , एनएसएफआर दृष्टिकोण के निर्धारण के लिए बासल II मानकीकृत दृष्टिकोण जोखिम भार का उपयोग किया जाएगा

	की गई अन्य सभी आस्तियां, • सभी पुनर्रचित 'मानक' ऋण जो उच्च जोखिम भार और अतिरिक्त प्रावधान आकर्षित करते हैं	

तालिका3		
क्रसं	तुलनपत्रेतर मदें जिन्हें स्थिर निधीयन की अपेक्षा है	संबंधित एएसएफ फैक्टर
i)	किसी ग्राहक को अप्रत्यावर्तनीय और शर्तों के अधीन प्रत्यावर्तनीय ऋण और चलनिधि सुविधाएं	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5%
ii)	निम्नलिखित उत्पाद और लिखत सहित अन्य अप्रत्याशित निधीयन दायित्व • बिना शर्त प्रत्यावर्तनीय ऋण और चलनिधि सुविधाएं • गैर संविदात्मक दायित्व जैसेः - बैंक के अपने ऋण या संबंधित वाहकों के ऋण पुनर्खरीद के लिए संभावित अनुरोध, प्रतिभूति निवेश माध्यम, और अन्य ऐसी निधीयन सुविधाएं - संरचित उत्पाद जहां ग्राहक तुरंत विपणन क्षमता की अपेक्षा करते हैं, जैसे समायोज्य दर नोट और परिवर्तनीय दर मांग नोट (वीआरडीएन) - प्रबंधित निधियां जिनका विपणन एक स्थिर मूल्य को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है	वर्तमान में अनाहरित भाग का %5
iii)	• व्यापार वित्तपोषण-संबंधी दायित्व (गारंटी और साख पत्र सहित) • व्यापार वित्तपोषण-संबंधी दायित्वों से असंबद्ध गारंटी और साख पत्र	मौजूदा अनाहरित भाग का 3%

9.2 **0% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियां**

जिन आस्तियों को 0% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित किया गया है, वे हैं:

(क) दायित्वों को पूरा करने के लिए तुरंत उपलब्ध सिक्के और बैंक नोट;

(ख) आरक्षित नकदी निधि अनुपात (अपेक्षित निधि और अतिरिक्त निधि सहित); आरबीआई पर किए जानेवाले छह महीने से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले सभी दावे[8]

(ग) उन वित्तीय लिखतों, विदेशी मुद्राओं और वस्तुओं की बिक्री से होने वाली "व्यापार तिथि" प्राप्तियां जिनका (i) निपटान, संबंधित विनिमय या लेनदेन के प्रकार के लिए सामान्य मानक निपटान चक्र या अवधि के भीतर होने की प्रत्याशा है या (ii) निपटान असफल रहा है लेकिन अभी भी निपटान होने की प्रत्याशा है।

9.3 **5% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियां**

5% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियों में 9 जून 2014 के एलसीआर परिपत्र में पारिभाषित भार-रहित स्तर 1 आस्तियां सम्मिलित हैं, जिनमें ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए 0% आरएसएफ़ वाली आस्तियां शामिल नहीं हैं और निम्नलिखित शामिल हैं:

- राष्ट्रिक, केंद्रीय बैंकों, पीएसई, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपीय समुदाय, या बहुपक्षीय विकास बैंकों पर दावे दर्शाने वाली या उनके द्वारा गारंटी दी गई बिक्री योग्य प्रतिभूतियां जिन्हें ऋण जोखिम के लिए बासल II के मानकीकृत अप्रोच के तहत 0% जोखिम भार दिया गया है।
- एलसीआर परिपत्र में विनिर्दिष्ट किए गए कतिपय 0% से इतर जोखिम-भारित राष्ट्रिक और केंद्रीय बैंक ऋण (डेट) प्रतिभूति
- भार-रहित एसएलआर प्रतिभूतियाँ

9.4 **10% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियां**

वित्तीय संस्थाओं को दिए गए छः महीनों से कम की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले मानक भाररहित ऋण, जहां ऋण 31 मार्च 2015 के परिपत्र के साथ पठित 9 जून 2014 के एलसीआर दिशानिर्देश, में परिभाषित स्तर 1 आस्तियों द्वारा प्रतिभूतियुक्त है, और जहां बैंक प्राप्त संपार्श्विक को ऋण की समयावधि के लिए पुनः दृष्टिबंधक करने लिए स्वतंत्र है।

9.5 **15% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियां**

15% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) 31 मार्च 2015 के परिपत्र के साथ पठित 9 जून, 2014 के एलसीआर परिपत्र में परिभाषित स्तर 2ए भाररहित आस्तियां, निम्नलिखित के सहित:

- राष्ट्रिक, केंद्रीय बैंकों, पीएसई या बहुपक्षीय विकास बैंकों पर दावे दर्शाने वाली या उनके द्वारा गारंटी दी गई बिक्री योग्य प्रतिभूतियां जिन्हें ऋण जोखिम के लिए बासल II के मानकीकृत अप्रोच के तहत 20% जोखिम भार दिया गया है; तथा

[8] "दावे" शब्द "ऋण" से अधिक व्यापक है, उदाहरण के लिए, इसमें केंद्रीय बैंक के बिल और केंद्रीय बैंकों के साथ किए गए रेपो लेनदेन से बैंक के तुलन पत्र पर उत्पन्न होने वाले आस्ति खाते भी शामिल हैं। इसमें आरबीआई के साथ स्थाई खाता भी शामिल होगा।

•कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक पत्र समेत) और कम से कम एए- के समान या समतुल्य क्रेडिट रेटिंग वाले सुरक्षायुक्त (कवर्ड) बॉन्ड;
(ख) वित्तीय संस्थाओं को दिए गए छः महीनों से कम की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले मानक भाररहित ऋण, जो उपर्युक्त पैरा 9.4 में शामिल नहीं हैं।

9.6 **50% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियां**

50% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
(क) 31 मार्च 2015 के दिशानिर्देश के साथ पठित 9 जून, 2014 के एलसीआर दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित और उनके अधीन 2बी स्तर की भाररहित आस्तियां, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- कम से कम एए क्रेडिट रेटिंग वाली आवासीय बंधक-आधारित प्रतिभूतियाँ (आरएमबीएस);
- ए+ और बीबीबी- के बीच क्रेडिट रेटिंग वाली कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक पत्र समेत); और
- वित्तीय संस्थाओं या उनके सहयोगियों द्वारा न जारी किए गए एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले सामान्य ईक्विटी शेयर;

(ख) एलसीआर में यथा परिभाषित एचक्यूएलए, जो छह महीने से लेकर एक वर्ष से कम अवधि तक के लिए भारसहित हों;
(ग) वित्तीय संस्थाओं और केंद्रीय बैंकों को दिए गए सभी ऋण, जो छह महीने से लेकर एक वर्ष से कम अवधि तक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले हों; और
(घ) परिचालनगत[9] उद्देश्यों से अन्य वित्तीय संस्थाओं में रखी गई जमाराशियाँ, जैसा कि 31 मार्च 2015 के दिशानिर्देश के साथ पठित 9 जून, 2014 के एलसीआर दिशानिर्देशों में रेखांकित गया है और जो ऊपर पैरा 7.5 (ख) के अनुसार 50% एएसएफ़ फैक्टर के अधीन हों; और
(ङ) अन्य सभी गैर- एचक्यूएलए जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं और जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम है, जिसमें गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण, खुदरा ग्राहकों (अर्थात प्राकृतिक व्यक्ति) और छोटे व्यावसायिक ग्राहकों को ऋण तथा राष्ट्रिक, पीएसई और राष्ट्रीय विकास बैंक (नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) को ऋण शामिल हैं।

9.7 **65% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियां**

65% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
(क)एक वर्ष या इससे अधिक अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले भाररहित आवासीय बंधक, जो ऋण जोखिम के लिए बासल II के मानकीकृत अप्रोच के तहत न्यूनतम जोखिम भार के लिए पात्र हैं;
(ख)एक वर्ष या इससे अधिक अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले अन्य भाररहित ऋण जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं (राष्ट्रिक और पीएसई को एक वर्ष या इससे अधिक अवशिष्ट परिपक्वता

[9] अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास रखी गई गैर-परिचालनगत जमाराशियों का ट्रीटमेंट वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण के समान होना चाहिए, जिसमें परिचालन की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए।

अवधि वाले ऋण सहित), वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण को छोड़कर, ऋण जोखिम के लिए बासल II के मानकीकृत अप्रोच के तहत 35% या इससे कम जोखिम भार के लिए पात्र हैं।

9.8 **85% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियां**

85% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) डेरिवेटिव संविदाओं[10] के लिए प्रांभिक मार्जिन के रूप में रखी गई नकदी, प्रतिभूतियाँ और अन्य आस्तियां (चाहे वे आस्तियां तुलन पत्र पर हों या तुलनपत्रेतर) और किसी केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) की डिफॉल्ट निधि में रखे जाने के लिए दी गई नकदी या अन्य आस्तियां। जहां डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रांभिक मार्जिन के रूप में रखी गई नकदी और अन्य आस्तियां को अन्यथा उच्चतर आरएसएफ़ फैक्टर दिया जाना है, वहाँ उन्हें उच्चतर फैक्टर ही बनाए रखना होगा। ओटीसी लेनदेन के लिए, किसी बैंक द्वारा डेरिवेटिव लेनदेन की शुरुआत में जिस निर्धारित स्वतंत्र राशि को पोस्ट करने की संविदागत अपेक्षा थी, उस राशि को प्रारम्भिक मार्जिन माना जाना चाहिए, भले ही उस मार्जिन का कुछ भाग बैंक को परिवर्ती मार्जिन भुगतान के रूप में वापस कर दिया गया हो। यदि प्रारंभिक मार्जिन पोर्टफोलियो स्तर पर फॉर्मूला द्वारा पारिभाषित किया गया है, तो प्रारंभिक मार्जिन के रूप में मानी जाने वाली राशि को एनएसएफ़आर मापन तिथि के अनुसार इस प्राक्कलित राशि को दर्शाना चाहिए, भले ही, उदाहरणस्वरूप वीएम भुगतानों की प्राप्ति के कारण, बैंक के प्रतिपक्षकार को भौतिक रूप में पोस्ट की गई मार्जिन की कुल राशि कम हो। केंद्रीकृत समाशोधन वाले लेनदेन के लिए, प्रारंभिक मार्जिन की राशि को, पोस्ट किए गए मार्जिन की कुल राशि (आईएम और वीएम) में से समाशोधित लेनदेन के लागू पोर्टफोलियो पर किसी मार्क-टू-मार्केट हानि का घटाव दर्शाना चाहिए।

ख)अन्य भाररहित अर्जक ऋण जो ऋण जोखिम के लिए बासल II के मानकीकृत अप्रोच के तहत 35% या इससे कम जोखिम भार के लिए पात्र नहीं हैं और एक वर्ष या अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले हैं, वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण को छोड़कर;

ग) एक वर्ष या अधिक की बची हुई परिपक्वता वाली भाररहित प्रतिभूतियाँ और एक्सचेंज पर ट्रेड की जाने वाली इक्विटी, जो चूक के अंतर्गत नहीं हैं और जो एलसीआर के अनुसार एसएलआर/एचक्यूएलए के रूप में पात्र नहीं हैं; और

घ)भौतिक रूप से ट्रेड की जाने वाली उत्पाद-वस्तुएं, स्वर्ण सहित।

9.9 **100% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियां**

100% आरएसएफ़ फैक्टर समनुदेशित की गई आस्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

[10] किसी ग्राहक की ओर से पोस्ट किया गया प्रारम्भिक मार्जिन, जहां बैंक तृतीय पक्ष के कार्यनिष्पादन की गारंटी नहीं लेता, इस अपेक्षा से मुक्त होंगे। यह ऐसे मामलों के संदर्भ में है, जिनमें बैंक किसी तृतीय पक्ष (जैसे किसी सीसीपी को) को डेरिवेटिव का निपटान करने के उद्देश्य से ग्राहक तक पहुँच देता है, जहां लेनदेन ग्राहक के नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं और बैंक इस तृतीय पक्ष के निष्पादन की गारंटी नहीं देता।

(क)सभी आस्तियां[11] जो एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए भारसहित है;
(ख)यदि एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियां, एनएसएफ़आर डेरिवेटिव देयताओं से अधिक हैं तो पैरा 10.12 के अनुसार प्राक्कलित एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियों और पैरा 8.1 के अनुसार प्राक्कलित एनएसएफ़आर डेरिवेटिव देयताओं का निवल।
(ग)उपर्युक्त श्रेणियों में न शामिल सभी अन्य आस्तियां, जिसमें अनर्जक ऋण[12], वित्तीय संस्थाओं को एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले ऋण, एक्सचेंज पर ट्रेड न होने वाली वाली इक्विटी, अचल आस्तियां, विनियामक पूंजी से हटाई गई मदें, रखा गया ब्याज, बीमा आस्ति, गौण हित और चूक की गई प्रतिभूतियां शामिल हैं; और
(घ)पैरा 8.1 के अनुसार गणना की गई (पोस्ट की गई परिवर्ती मार्जिन घटाने से पहले) डेरिवेटिव देयताओं का 5% (यथा ऋणात्मक प्रतिस्थापन लागत राशि)।
(ङ)सभी मानक पुनर्रचित ऋण, जिनपर अधिक जोखिम हो और/या अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता हो।

10. **आरएसएफ़ - अन्य अपेक्षाएं**

10.1 विभिन्न प्रकार की आस्तियों को समनुदेशित आरएसएफ का उद्देश्य है किसी विशेष आस्ति की राशि का अनुमान लगाना, जिसे वित्त पोषित करना पड़ सकता है, क्योंकि इसे या तो रोल ओवर किया जाएगा, या इसे बेचकर मुद्रीकरण नहीं किया जा सकता या इसे काफी खर्च किए बिना एक वर्ष के भीतर किसी सुरक्षित ऋण लेनदेन में संपार्श्विक के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इस मानक के तहत, ऐसी राशियों के स्थिर निधीयन द्वारा समर्थित होने की प्रत्याशा की जाती है।

10.2 आस्तियों को उनकी अवशिष्ट परिपक्वता या चलनिधि मूल्य के आधार पर उपयुक्त आरएसएफ फैक्टर को आबंटित किया जाना चाहिए। किसी लिखत की परिपक्वता निर्धारित करते समय, यह माना जाना चाहिए कि निवेशक परिपक्वता बढ़ाने के लिए किसी विकल्प का उपयोग करेंगे। जिन आस्तियों में विकल्पों का प्रयोग बैंक के विवेकानुसार किया जाना है, उनके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक, ऐसे प्रतिष्ठा संबंधी कारक जो उस विकल्प का प्रयोग[13] करने की बैंक की क्षमता को सीमित कर सकते हैं, को ध्यान में रखते हुए अधिक उच्च आरएसएफ फैक्टर निर्धारित कर सकता है। विशेष रूप से, जहां बाजार की अपेक्षा है कि कुछ आस्तियों की परिपक्वता में

[11] किसी रेपो परिचालन में गिरवी रखे गए संपार्श्विक के मामले में, जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष या अधिक है लेकिन जहां गिरवी रखा गया संपार्श्विक एक वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होता है, वहाँ संपार्श्विक को रेपो या प्रतिभूतियुक्त लेनदेन की अवधि के लिए भारसहित माना जाना चाहिए, भले ही संपार्श्विक की वास्तविक परिपक्वता एक वर्ष से कम की है। ऐसा इसलिए है कि परिपक्वता अवधि के बाद संपार्श्विक को प्रतिस्थापित करना होगा।

[12] दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान के अनुसार पारिभाषित।

[13] इसमें ऐसा मामला आ सकता है जहां कोई बैंक यह मान सकता है कि यदि उसने अपनी आस्तियों पर विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो यह निधीयन जोखिम के अंतर्गत आ सकता है।

विस्तार किया जाए, बैंकों को एनएसएफआर के प्रयोजन से इस तरह के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इन आस्तियों को संबंधित आरएसएफ श्रेणी में शामिल करना चाहिए। यदि यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा तिथि सहित संविदात्मक प्रावधान है कि दी गई सुविधा या ऋण को नवीकृत किया हैं या नहीं, तो रिज़र्व बैंक अगली समीक्षा तिथि का उपयोग परिपक्वता तिथि के रूप में करने के लिए, मामले के आधार पर बैंकों को अधिकृत कर सकता है। ऐसा करते समय रिज़र्व बैंक सभी दिए गए प्रोत्साहनों और ऐसी सुविधाएं/ ऋण नवीनीकृत नहीं किए जाने की वास्तविक संभावनाओं पर विचार करेगा। ऋण और अन्य दावों को परिशोधित करने के लिए, एक वर्ष की समयावधि के भीतर आने वाले हिस्से को एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता श्रेणी में माना जा सकता है।

10.3 किसी संस्था को अपने लिए आवश्यक स्थिर वित्त पोषण को निर्धारित करने के उद्देश्य से (i) उन वित्तीय लिखतों, विदेशी मुद्राओं और वस्तुओं को शामिल करना चाहिए जिनके लिए क्रयादेश निष्पादित किया जा चुका है, और (ii) उन वित्तीय लिखतों, विदेशी मुद्राओं और वस्तुओं को हटा देना चाहिए जिनके लिए बिक्री आदेश निष्पादित किया जा चुका है भले ही ऐसे लेन-देन तुलन पत्र में निपटान-तिथि लेखांकन मॉडल के तहत प्रतिबिंबित न हों, बशर्ते कि (i) ऐसे लेनदेन संस्था के तुलन पत्र में डेरिवेटिव या प्रतिभूतियुक्त वित्तपोषित लेनदेन के रूप में दिखाई नहीं दे रहे हों, और (ii) ऐसे लेनदेन के प्रभाव निपटान हो जाने के बाद संस्था के तुलन पत्र में दिखाई देंगे।

10.4 **भारसहित आस्तियां:** एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए भारसहित रहने वाली तुलन पत्र की आस्तियों[14] को 100% आरएसएफ फैक्टर दिया जाता है। छह महीने से लेकर एक वर्ष से कम अवधि के लिए भारसहित आस्तियां, जो यदि भाररहित होतीं तो 50% के बराबर या इससे कम आरएसएफ फैक्टर प्राप्त करतीं, उन्हें 50% आरएसएफ फैक्टर दिया जाता है। छह महीने से लेकर एक वर्ष से कम अवधि के लिए भारसहित आस्तियां, जो यदि भाररहित होतीं तो 50% से अधिक आरएसएफ फैक्टर प्राप्त करतीं, तो उनके उच्च आरएसएफ फैक्टर को बनाए रखा जाता है। जहां आस्तियों के भारसहित रहने की अवधि में छह महीने से कम बचे है, वहाँ आस्तियों को समतुल्य भाररहित आस्ति पर लागू आरएसएफ़ फैक्टर दिया जा सकता है। इसके अलावा, एनएसएफआर की गणना के प्रयोजन से, जो आस्तियां असाधारण केंद्रीय बैंक चलनिधि परिचालनों[15] के लिए भाररहित हैं, उन्हें जो आरएसएफ़ फैक्टर दिया जाता है, वह समतुल्य भाररहित आस्ति पर आरएसएफ फैक्टर से कम नहीं होना चाहिए।

[14] भारसाहित आस्तियों में प्रतिभूतियों को आधार देने वाली आस्तियां या कवर्ड बॉन्ड और प्रतिभूति वित्तपोषण लेनेडेन या सांपार्श्विक स्वैप में गिरवी रखी गाई आस्तियां शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। "भाररहित " की परिभाषा 09 जून 2014 के परिपत्र में दी गई है।

[15] सामान्यतः, असाधारण केंद्रीय बैंक परिचालन, वे अमानक, अस्थाई परिचालन हैं जो केंद्रीय बैंक अपने कार्यादेश को पूरा करने के लिए पूरे बाजार में वित्तीय दवाब और/या असामान्य समष्टिगत आर्थिक चुनौतियों की स्थिति होने पर करता है।

10.5 **प्रतिभूतियुक्त ऋण पर भार संबंधी ट्रीटमेंट (उदाहरण के लिए रिवर्स रेपो), जहां प्राप्त संपार्श्विक बैंक के तुलन पत्र पर दिखाई नहीं देता है, और इसे बेचा गया है या पुनः दृष्टिबंधक किया गया है, जिससे अधिविक्रय की स्थिति बनी है**- तुलन पत्र की आस्तियों पर भार संबंधी ट्रीटमेंट उस सीमा तक लागू किया जाना चाहिए जिस सीमा तक प्राप्त संपार्श्विक को बैंक द्वारा प्रतिपक्ष को लौटाए बिना लेन-देन परिपक्व नहीं हो सकता है। किसी लेनदेन के "भाररहित" होने के लिए, उसे "आस्ति को परिसमाप्त करने, बेचने, अंतरित करने या समनुदेशित करने की बैंक की क्षमता पर कानूनी, विनियामक, संविदात्मक या अन्य प्रतिबंधों से मुक्त होना चाहिए"। चूंकि नकद प्राप्ति की वसूली ऐसे संपार्श्विक की वापसी पर निर्भर है जो अब बैंक द्वारा नहीं रखा गया है, अतः प्राप्तियों को भारसहित माना जाना चाहिए। जहां प्रतिभूतियुक्त वित्त पोषण लेनदेन से प्राप्त संपार्श्विक को पुनः दृष्टिबंधक रखा गया है, वहां प्राप्तियों को संपार्श्विक के पुनः दृष्टिबंधन की अवधि के लिए भारसहित माना जाना चाहिए। जहां प्रतिभूतियुक्त वित्त पोषण लेनदेन से प्राप्त संपार्श्विक को सीधे बेच दिया गया है, जिससे अधिविक्रय की स्थिति बन रही है, तो मूल प्रतिभूतियुक्त वित्त पोषण लेनदेन से संबंधित प्राप्ति को इस प्राप्ति की अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि तक के लिए भारसहित समझा जाना चाहिए। इस प्रकार, तुलन पत्र प्राप्तियों को:

- पैरा के अनुसार ट्रीट किया जाना चाहिए 10.9, यदि भारसहित रहने की शेष अवधि छह महीने से कम है (अर्थात इसे एनएसएफ़आर में भाररहित माना जा रहा है);
- 50% या अधिक आरएसएफ़ फैक्टर दिया जाना चाहिए यदि भारसहित रहने की शेष अवधि पैरा के अनुसार छह महीने से लेकर एक वर्ष से कम तक हो 10.4; और
- 100% आरएसएफ़ फैक्टर दिया जाना चाहिए यदि भारसहित रहने की शेष अवधि पैरा के 10.4 अनुसार एक वर्ष से अधिक हो।

10.6 प्रतिभूतियुक्त ऋण लेनदेन के लिए भार संबंधी ट्रीटमेंट (रिवर्स रेपो -जैसे), जहां प्राप्त संपार्श्विक बैंक के तुलन पत्र पर दिखता है और इसे पुनः दृष्टिबंधक रखने या बेचने से अधिविक्रय की स्थिति उत्पन्न हुई है- बैंक के तुलन पत्र पर दिखाई देने वाला प्राप्त सांपार्श्विक, जो पुनः दृष्टिबंधक रखा गया है रेपो के लिए -जैसे) (भारसहित, को पैरा के अनुसार भारसहित माना जाना चाहिए। परिणामस्वरूप 10.4, प्राप्त सांपार्श्विक को :

- भाररहित माना जाना चाहिए, यदि भारसहित रहने की शेष अवधि एनएसएफ़आर मानक के पैरा 10.4 के अनुसार छह महीने से कम है, और इसे समतुल्य भाररहित आस्ति के समान आरएसएफ़ फैक्टर दिया जाना चाहिए;
- 50% या अधिक आरएसएफ़ फैक्टर दिया जाना चाहिए, यदि भारसहित रहने की शेष अवधि पैरा के अनुसार छह महीने से लेकर एक वर्ष से कम तक हो 10.4; और
- 100% आरएसएफ़ फैक्टर दिया जाना चाहिए, यदि भारसहित रहने की शेष अवधि पैरा के 10.4 अनुसार एक वर्ष से अधिक हो।

जहां संपार्श्विक को सीधे बेच दिया गया है, जिससे अधिविक्रय की स्थिति बन रही है, तो संबंधित प्राप्ति को इस प्राप्ति की अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि तक के लिए भारसहित समझा जाना चाहिए और पैरा 10.5 र दिया जाना चाहिए।के अनुसार आरएसएफ़ फैक्ट

10.7 वे आस्तियां जो बैंकों के स्वामित्व में हैं, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग खातों में ग्राहक इक्विटी की सुरक्षा संबंधी सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें पृथक किया गया है, अंतर्निहित एक्सपोजर के अनुसार रिपोर्ट की जानी चाहिए, चाहे पृथक्करण अपेक्षा को बैंक के तुलन पत्र पर अलग से वर्गीकृत किया गया हो या नहीं। तथापि उन संपत्तियों को अनुच्छेद 10.4 के अनुसार भी ट्रीट किया जाना चाहिए। यानी कि वे भारसहित होने)इसकी अवधि (के आधार पर उच्च आरएसएफ के अधीन भी हो सकते हैं। भारसहित होने की) अवधि (को प्राधिकारियों द्वारा यह ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या संस्था ऐसी आस्तियों का स्वतंत्र रूप से निपटान या विनिमय कर सकती है और बैंक के ग्राहक)ओं (को देयता की अवधि जिसके कारण पृथक्करण अपेक्षा उत्पन्न होती है।

10.8 **प्रतिभूतियुक्त वित्तपोषण लेनदेन**: प्रतिभूतियुक्त वित्तपोषण लेनदेन के लिए तुलन पत्र और लेखांकन ट्रीटमेंट के उपयोग के परिणामस्वरूप आम तौर पर बैंकों को उनकी आस्तियों में से उन प्रतिभूतियों को हटा देना चाहिए, जिन्हें उन्होंने प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (जैसे रिवर्स रेपो और संपार्श्विक स्वैप) में उधार लिया जाता है, जहां उनके पास लाभकारी स्वामित्व नहीं होता है। इसके विपरीत, बैंकों को प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन में उधार दी गई प्रतिभूतियों को शामिल करना चाहिए जहां वे लाभकारी स्वामित्व बनाए रखते हैं। बैंकों को संपार्श्विक स्वैप द्वारा मिलने वाली किसी भी प्रतिभूति को शामिल नहीं करना चाहिए यदि वे प्रतिभूतियां उनके तुलन पत्र पर दिखाई नहीं जाती हैं। जहां बैंकों के पास रिपो या अन्य प्रतिभूति लेनदेन में भारसाहित प्रतिभूतियाँ हैं, लेकिन लाभकारी स्वामित्व बरकरार रखा गया है और वे बैंक के तुलन पत्र पर बनी हुई है, बैंक को ऐसी प्रतिभूतियों को इनकी विशेषताओं के अनुसार उपयुक्त आरएसएफ श्रेणी में रखना चाहिए (आस्ति का एचक्यूएलए होना, उसकी अवधि, जारीकर्ता इत्यादि)।

10.9 किसी बैंक को रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत प्राप्त होने वाली राशि के लिए ट्रीटमेंट (लागू आरएसएफ फैक्टर) अन्य ऋण के समान ही होगा, जो प्रतिपक्षकार और परिचालन की अवधि पर निर्भर करेगा। इसमें अपवाद वित्तीय संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण (रिवर्स रेपो) हैं, जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता छह महीने से कम है और जो स्तर 1 आस्तियों (जो अनुच्छेद 9.4 के अनुसार 10% आरएसएफ फैक्टर प्राप्त करते हैं) द्वारा या अन्य आस्तियों (जो अनुच्छेद 9.5 के अनुसार 15% आरएसएफ कारक प्राप्त करते हैं) द्वारा प्रतिभूतियुक्त हैं।

10.10 इन प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन के तहत आनेवाली प्राप्तियों और देयताओं को सामान्यतः सकल आधार पर रिपोर्ट करना चाहिए, यानी कि ऐसी प्राप्तियों और देयताओं की सकल राशि क्रमशः आरएसएफ पक्ष और एएसएफ पक्ष में रिपोर्ट की जानी चाहिए। इसका एकमात्र अपवाद यह है कि एक ही प्रतिपक्षकार के साथ किए गए प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन को एनएसएफआर की गणना करते समय नेट परिकलित किया जा सकता है, बशर्ते कि 8 जनवरी 2015 के परिपत्र 'लीवरेज अनुपात के लिए संशोधित ढांचे' के अनुच्छेद 16.4.4.2 में निर्धारित नेटिंग की शर्तें पूरी की गई हों।

10.11 वे ऋण जो केवल आंशिक रूप से प्रतिभूतियुक्त हैं और इसलिए बेसल II के तहत विभिन्न जोखिम भारों के साथ प्रतिभूतियुक्त और प्रतिभूतिरहित भागों में विभाजित हैं, उनके लिए एनएसएफआर की गणना करते समय ऋण के इन हिस्सों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए: प्रतिभूतियुक्त और प्रतिभूतिरहित भाग में से प्रत्येक को उसकी विशिष्टताओं के अनुसार माना जाना चाहिए और उसके अनुसार आरएसएफ फैक्टर दिया जाना चाहिए। यदि ऋण के प्रतिभूतियुक्त और प्रतिभूतिरहित भाग के बीच भेद करना संभव नहीं है, तो पूरे ऋण पर उच्च आरएसएफ फैक्टर लागू होना चाहिए।

10.12 **व्युत्पन्न आस्तियों की राशि की गणना**: जहां संविदा का सकारात्मक मूल्य होता है, वहां डेरिवेटिव की गणना पहले डेरिवेटिव संविदा (मार्क टू मार्केट करके प्राप्त) के प्रतिस्थापन लागत के आधार पर की जाती है । जहां एक पात्र द्विपक्षीय नेटिंग संविदा उपस्थित है, जो दिनांक 1 जुलाई 2014 के बासल **III** पूंजी विनियमों पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 20 **(**भाग ख) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है, वहाँ निवल प्रतिस्थापन लागत, संविदा द्वारा कवर किए जा रहे डेरिवेटिव एक्सपोजर के सेट के लिए प्रतिस्थापन लागत होगी। एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियों[16] की गणना में, डेरिवेटिव संविदा के संबंध में प्राप्त संपार्श्विक, सकारात्मक प्रतिस्थापन लागत राशि को ऑफ़सेट नहीं कर सकता है, चाहे बैंक के परिचालन लेखांकन या जोखिम-आधारित ढांचे के तहत नेटिंग की अनुमति हो या नहीं, जब तक कि इसे नकदी विभेद के रूप में प्राप्त नहीं किया जाता और यह 8 जनवरी 2015 के लीवरेज अनुपात के लिए संशोधित ढांचे के अनुच्छेद 16.4.3.8 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता हो। बाकी सभी तुलन पत्र देयताएं, जो (क) जो प्राप्त मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले प्राप्त विभेद मार्जिन या (ख) प्राप्त प्रारंभिक मार्जिन से जुड़ी हैं, डेरिवेटिव आस्तियों को ऑफ़सेट नहीं कर सकती हैं और उन्हें 0% एएसएफ फैक्टर दिया जाना चाहिए।

10.13 यदि कोई ऑन बैलेंस शीट आस्ति प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट किए गए संपार्श्विक के साथ उस सीमा तक जुड़ी है कि बैंक का लेखांकन ढांचा ऑन बैलेंस शीट पर दर्शाता है, तो एनएसएफआर के प्रयोजनों के लिए किसी भी दुबारा-गिनती से बचने के लिए किसी बैंक की आरएसएफ गणना में उस आस्ति को एक समेकित आस्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

10.14 केंद्रीय बैंक की अल्पकालिक मौद्रिक नीति और तरलता परिचालन से उत्पन्न होने वाले केंद्रीय बैंकों के साथ डेरिवेटिव के लेनदेन रिपोर्टिंग को बैंक के एनएसएफआर गणना से बाहर रखा जाना चाहिए और एएसएफ से इन डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित अवास्तविक पूंजीगत लाभ और हानियों को ऑफ़सेट करना चाहिए। इन लेन-देन में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव जैसे- विदेशी मुद्रा स्वैप शामिल हैं, और शुरुआत में इसकी छह महीने से कम की परिपक्वता होनी चाहिए। इस प्रकार, बैंक का एनएसएफआर अल्पकालिक मौद्रिक नीति और तरलता परिचालन के उद्देश्य से अपने केंद्रीय बैंक के साथ अल्पकालिक डेरिवेटिव लेनदेन में प्रवेश के कारण नहीं बदलेगा।

11. गणना और रिपोर्टिंग की आवृत्ति

बैंकों द्वारा निरंतर आधार पर एनएसएफआर आवश्यकता को पूरा करना अपेक्षित है और उनके पास ऐसी गणना और निगरानी के लिए आवश्यक प्रणाली होना चाहिए। प्रत्येक तिमाही के अंत की स्थिति के अनुसार एनएसएफआर (प्रारंभिक तारीख को निश्चित रूप से घोषित किया जाएगा) को तिमाही के अंत से 15 दिनों

[16] एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्ति = (डेरिवेटिव आस्ति) - (डेरिवेटिव आस्तियों पर विभेद मार्जिन के रूप में प्राप्त नकद सांपार्श्विक)

के भीतर निर्धारित प्रारूप (बीएलआर 7) में आरबीआई (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, सीओ) को रिपोर्ट किया जाना चाहिए ।

12. एनएसएफआर प्रकटीकरण मानक

12.1 एनएसएफआर से संबंधित प्रकटीकरण की स्थिरता और उपयोगिता को बढ़ावा देने और बाजार अनुशासन को बढ़ाने के लिए, बैंकों को अपने एनएसएफआर को एक सामान्य टेम्पलेट (**परिशिष्ट II**) के अनुसार प्रकाशित करना होगा। बैंकों को वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करने के बावजूद, इन वित्तीय विवरणों (अर्थात आम तौर पर त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक) के प्रकाशन के साथ इस प्रकटीकरण को प्रकाशित करना होगा। एनएसएफआर सूचना का परिगणन समेकित आधार पर किया जाना चाहिए और भारतीय रुपये में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

12.2 बैंकों को या तो अपनी प्रकाशित वित्तीय रिपोर्ट में इस दस्तावेज़ द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण शामिल करना चाहिए या, कम से कम, अपनी वेबसाइटों पर प्रत्यक्ष और प्रमुख लिंक प्रदान करना चाहिए या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विनियामक रिपोर्ट में पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए। बैंकों को अपनी वेबसाइटों पर, या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विनियामक रिपोर्ट के माध्यम से, पूर्व रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित सभी टेम्पलेट्स का संग्रह भी उपलब्ध करना चाहिए। प्रकटीकरण के स्थान के बावजूद, न्यूनतम प्रकटीकरण आवश्यकताओं को इस दस्तावेज़ द्वारा अपेक्षित प्रारूप में होना चाहिए।

12.3 विवरण तिमाही अंत अवलोकन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अर्ध-वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करने वाले बैंकों के लिए, एनएसएफआर को पिछले दो तिमाहियों में से प्रत्येक के लिए सूचित किया जाना चाहिए। वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करने वाले बैंकों के लिए, पिछले चार तिमाहियों के लिए एनएसएफआर की सूचना दी जानी चाहिए। एनएसएफआर घटकों के दोनों भाररहित और भारित मूल्यों को तब ही प्रकट किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा इंगित न किया जाए। एएसएफ या आरएसएफ कारकों के लागू होने के बाद भारित मूल्यों की गणना की जाती है।

12.4 निर्धारित सामान्य टेम्पलेट के अतिरिक्त, बैंकों को परिणामों और साथ-साथ विवरण की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए एनएसएफआर के संबंध में पर्याप्त गुणात्मक चर्चा उपलब्ध करानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जहां एनएसएफआर के लिए आवश्यक है, बैंक अपने एनएसएफआर परिणामों के ड्राइवरों और अंतर-अवधि के परिवर्तनों के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तनों (जैसे कार्यनीतियों में परिवर्तन, वित्त पोषण संरचना, परिस्थितियों इत्यादि) के कारणों पर चर्चा कर सकते हैं।

एनएसएफआर का विवरण				**बीएलआर7**
बैंक का नाम				
समाप्त तिमाही के लिए विवरण				
क्र.सं	**मद**			
क.	**एएसएफ श्रेणी के घटक (देयता श्रेणियां)**	**एसोसिएटेड एएसएफ फ़ैक्टर**	**अभारित राशि (रुपये करोड़)**	**भारित राशि (रुपये करोड़)**
i.	कुल विनियामक पूंजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ टियर 2 लिखतों को छोड़कर)	100%		
ii.	एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता वाले अन्य पूंजीगत लिखत	100%		
iii.	एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य देनदारियां	100%		
iv.	खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमाएं और सावधि जमाएं	95%		
v.	खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से भी कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ कम स्थिर गैर-परिपक्वता जमाएं और सावधि जमाएं	90%		

vi.	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से भी कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्त पोषण	50%		
vii.	परिचालन जमा	50%		
viii.	राष्ट्रिक, पीएसई, और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से भी कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्त पोषण	50%		
ix.	छह महीने और एक वर्ष से कम के बीच की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य वित्त पोषण जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्त पोषण शामिल हैं।	50%		
x.	किसी भी परिपक्वता के बिना देनदारियों सहित (स्थगित कर देनदारियों और अल्पांश हितों (माइनोरिटी इन्टरेस्ट) के लिए एक विशिष्ट उपचार के साथ) उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं होने वाले अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी	0%		
xi.	यदि एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियों से अधिक हैं तो एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियों का एनएसएफआर डेरिवेटिव निवल	0%		
xii.	वित्तीय लिखतों, विदेशी मुद्राओं की खरीद से उत्पन्न देय " ट्रेड डेट"	0%		

ख.	कुल उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण			
ग .	आरएसएफ श्रेणी के घटक	एसोसिएटेड एएसएफ फ़ैक्टर	अभारित राशि (रुपये करोड़)	भारित राशि (रुपये करोड़)
i.	सिक्के और बैंकनोट्स	0%		
ii.	अतिरिक्त सीआरआर सहित नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर)	0%		
iii.	आरबीआई पर छह महीने से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सभी दावे	0%		
iv.	वित्तीय लिखतों, विदेशी मुद्राओं और वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न " ट्रेड डेट" प्राप्तियां।	0%		
v.	सिक्कों, बैंकनोट्स, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर भार रहित स्तर 1 आस्तियां	5%		
vi.	भार रहित एसएलआर प्रतिभूतियां	5%		
vii.	छह महीने से कम की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के साथ वित्तीय संस्थानों के लिए भार रहित ऋण, जहां 9 जून, 2014 के एलसीआर परिपत्र और परिपत्र के पाठ में दर्शाए विभिन्न संशोधनों के अनुसार जहां परिभाषित स्तर 1 आस्तियों के लिए ऋण प्रतिभूत है, और जहां बैंक के पास संपूर्ण ऋण अवधि के लिए प्राप्त संपार्श्विक को स्वतंत्र रूप से पुनर्निर्मित करने की क्षमता है।	10%		
viii.	वित्तीय संस्थानों को दिए जाने वाले अन्य सभी 'मानक' भार रहित ऋण जो	15%		

	छह महीने से कम की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के हैं और उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।			
ix.	भार रहित स्तर 2ए आस्तियां	15%		
x.	भार रहित स्तर 2बी आस्तियां	50%		
xi.	छह महीने या उससे अधिक और एक साल से कम की अवधि के लिए एचक्यूआरए भारग्रस्त	50%		
xii.	वित्तीय संस्थानों और केंद्रीय बैंकों को छह महीने और एक साल से कम अवधि की अवशिष्ट परिपक्वता वाले 'मानक' ऋण	50%		
xiii.	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा जमाएं	50%		
xiv.	अन्य सभी आस्तियां जिनकी एक वर्ष से भी कम समय की अवशिष्ट परिपक्वता शेष है, जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों को, और राष्ट्रिक और पीएसई को 'मानक' ऋण शामिल हैं।	50%		
xv.	एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भाररहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्दिष्ट किया गया हो	65%		
xvi.	एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट	65%		

	परिपक्वता के साथ और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ वित्तीय संस्थानों को दिए जाने वाले ऋणों को छोड़कर अन्य भाररहित' मानक' ऋण जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।			
xvii.	सीसीपी के डिफ़ॉल्ट निधि में योगदान देने के लिए डेरिवेटिव संविदाओं और नकदी या अन्य आस्तियों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई नकद, प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां	85%		
xviii.	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से अधिक जोखिम भार और एक साल या उससे अधिक अवशिष्ट परिपक्वता वाले अन्य भाररहित निष्पादित ऋण, इसमें वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं ।	85%		
xix.	भाररहित प्रतिभूतियां जोकि डिफ़ॉल्ट में नहीं हैं और एक साल या उससे अधिक की शेष परिपक्वता और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी के साथ (एचक्यूएलए) HQLA के रूप में पात्र नहीं हैं	85%		
xx.	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वस्तुएं	85%		
xxi.	सभी आस्तियां जो एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से भारग्रस्त हैं	100%		
xxii.	यदि एनएसएफआर डेरिवेटिव	100%		

	आस्तियां एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियों से अधिक है तो एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियों का निवल			
xxiii.	डेरिवेटिव देयताओं का 5%	100%		
xxiv.	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हुए सभी अन्य आस्तियां, जिसमें गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले एक्सेचेंज पर व्यापार न की जा सकने वाली इक्विटी, निश्चित आस्तियां, नियामक पूंजी से कटौती की गई वस्तुओं, प्रतिधारित ब्याज, बीमा संपत्ति, सहायक ब्याज और डिफ़ॉल्ट प्रतिभूतियां शामिल हैं।	100%		
xxv.	सभी पुनर्रचित मानक' ऋण जो उच्च जोखिम भार और अतिरिक्त प्रावधान को आकर्षित करते हैं।	100%		
घ.	आवश्यक स्थिर वित्तपोषण-तुलन-पत्र आस्तियों पर [(i)+(ii)+…+(xxv)]			
ड.	तुलनपत्रेतर आस्तियां	**एसोसिएटेड आरएसएफ**		

		फैक्टर		
(i)	किसी भी ग्राहक को अपरिवर्तनीय और सशर्त रूप से रद्द की जा सकने वाली क्रेडिट और तरलता सुविधाएं	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5%		
(ii)	अन्य आकस्मिक निधि दायित्व, उत्पादों और लिखतों सहित (क) + (ख) + (ग)	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5%		
(क)	बिना शर्त रद्द करने योग्य क्रेडिट और तरलता सुविधाएं	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5%		
(ख़)	व्यापार वित्त-संबंधी दायित्व (गारंटी और साख पत्र सहित)	वर्तमान में अनाहरित भाग का 3%		
(ग)	व्यापार वित्त दायित्वों से असंबंधित गारंटी और साख पत्र	वर्तमान में अनाहरित भाग का 3%		
(iii)	गैर संविदात्मक दायित्व (क) + (ख) + (ग)			
(क)	बैंक के अपने ऋण के ऋण पुनर्भुगतान या संबंधित कंडिट्स, प्रतिभूति निवेश साधन और ऐसी अन्य वित्त पोषण सुविधाओं के संभावित अनुरोध	5%		
(ख़)	संरचित उत्पाद जहां ग्राहक तैयार विपणन क्षमता की अपेक्षा करते हैं,	5%		

	जैसे समायोज्य दर नोट्स और परिवर्तनीय दर मांग नोट्स (वीआरडीएन)			
(ग)	प्रबंधित निधियां जिसका एक स्थिर मूल्य को बनाए रखने के उद्देश्य से विपणन कर रहे हैं।	5%		
च.	आवश्यक स्थिर निधि - तुलनपत्रेतर मद (i) + (ii) + (iii)			
छ.	कुल आवश्यक स्थिर निधि (डी + एफ)			
ज.	एनएसएफआर (बी / जी)			

परिशिष्ट II

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट

	(रुपये करोड़ में)	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा भाररहित मूल्य				निर्धारित मूल्य
		परिपक्वता[17]	**< 6** माह	**6** माह से **< 1**वर्ष	≥ **1** वर्ष	
एएसएफ मद						
1	पूंजी: (2+3)					
2	*विनियामक पूंजी*					
3	*अन्य पूंजीगत यंत्र*					
4	छोटे व्यापार ग्राहकों से खुदरा जमाएं और जमाएं: (5+6)					
5	*स्थिर जमाएं*					
6	*न्यून स्थिर जमाएं*					
7	*थोक वित्त पोषण*: (8+9)					
8	*परिचालन जमाएं*					
9	*अन्य थोक वित्त पोषण*					
10	अन्य देनदारियां: (11+12)					
11	*एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां*					
12	*अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं*					
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					
आरएसएफ मद						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाले तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)					
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा जमाएं					
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)					
17	*स्तर 1 द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण*					
18	*गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत अर्जक ऋण*					

[17] 'अपरिपक्व' समय बकेट में रिपोर्ट की जाने वाली मदों में एक निश्चित परिपक्वता नहीं है। इनमें सतत परिपक्वता, गैर परिपक्वता जमा, शॉर्ट पोजीशन, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर- एचक्यूएलए इक्विटी, और भौतिक रूप में व्यापार की जाने वाली वस्तुएं जैसे मद शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इतनी ही सीमित नहीं हैं।

19	*गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों के अर्जक ऋण, खुदरा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, और राष्ट्रिकों, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से:*					
20	*क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ*					
21	*अर्जक देशी बंधक, जिनमें से:*					
22	*क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ*					
23	*प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप में नहीं हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी समेत एचक्यूएल के रूप में योग्य नहीं हैं*					
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 का जोड़) अन्य आस्तियां: (25 से 29 की राशि)					
25	*सोना समेत भौतिक व्यापारिक वस्तुएं*					
26	*डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट निधि में योगदान के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां*					
27	*एनएसएफआर डेरिवेटिव संपत्तियां*					
28	*विविधता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां पोस्ट की गईं*					
29	*उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गईं सभी अन्य आस्तियां*					
30	ऑफ-बैलेंस शीट मद					
31	**कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)**					
32	**निवल स्थिर निधि अनुपात (%)**					